न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	01/21	2021/23	15.03.2021	सरकार बनाम पुरूषोत्तम गुप्ता व अन्य	22.04.2026	1लगायत 4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2021 (2021/23)

उनवान

1. प्रेमचन्द जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

– आवेदक

बनाम

1. पुरूषोत्तम गुप्ता पुत्र श्री नवलकिशोर अग्रवाल उम्र लगभग 42 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक) फर्म आशीष उधोग ,एच –111 रिको औधोगिक क्षेत्र , सालोदा गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी शंकर मील , नहर रोड़ गंगापुर सिटी ,तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
2. आशीष गुप्ता पुत्र श्री नवलकिशोर अग्रवाल उम्र लगभग 36 वर्ष जाति महाजन (पार्टनर) फर्म आशीष उधोग ,एच –111 रिको औधोगिक क्षेत्र , सालोदा गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी शंकर मील , नहर रोड़ गंगापुर सिटी ,तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)
3. अंजू देवी पत्नि श्री पुरूषोत्तम गुप्ता उम्र लगभग 43 वर्ष जाति महाजन (पार्टनर) फर्म आशीष उधोग ,एच –111 रिको औधोगिक क्षेत्र , सालोदा गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर निवासी शंकर मील , नहर रोड़ गंगापुर सिटी ,तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)

–अभियुक्त

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.10.2020 को लगभग 12.50 पी.एम. पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत फर्म आशीष उधोग,एच–111. रिको औधोगिक क्षेत्र, सालोदा, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर पर श्री अनिल चौधरी, उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी व श्रीमती सुनीता मीना, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहीं पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम पुरुषोत्तम गुप्ता पुत्र श्री नवलकिशोर अग्रवाल, उम्र लगभग 42 वर्ष जाति महाजन बताया तथा स्वयं को फर्म पर विकेता तथा आशीष गुप्ता व अंजू देवी को फर्म का पार्टनर होना बताया। आवेदक ने पुरुषोत्तम गुप्ता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। पुरुषोत्तम गुप्ता व पार्टनर अपनी तेल मील पर सरसों तेल का निर्माण कर व **Ashish Uma Brand** के नाम से पैक कर आमजन को फर्म पर एवं बाजार में विक्रय करते है। मैने पुरुषोत्तम गुप्ता से फर्म का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ लाईसेन्स एवं स्वयं तथा पार्टनरों के फोटो पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने अपनी फर्म का वाद्यपदार्थ लाईसेन्स न० 12216038000037 दिनांक 14.05.2020 जो कि दिनांक 10.05.2021 तक वैध था, फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं स्वयं का फोटो पहचान पत्र मुझे दिखाया तथा उनकी एक–एक स्वप्रमाणित प्रति मुझे दी जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के [illegible] निर्माण व विकय पुरिसर में आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु कच्चीघानी शुद्ध [illegible] तेल (**Ashish Uma Brand**) 1 लीटर पैक बोटल को 15 कार्टून जिनमें प्रत्येक कार्टून में 12 बो[illegible] रखी हुयी थी। कार्टून में रखी हुयी कच्ची धानी शुद्ध सरसों तेल (**Ashish Uma Brand**) 1 लीटर पैक बोटलों का निरीक्षण करने पर उनमे मिलावट व मिथ्या[illegible] मौके पर मौजूद विक्रेता पुरुषोत्तम गुप्ता से कार्टून में रखी हुयी कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (**Ashish Uma Brand**)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला क[illegible]र
गंगापुर सिटी

1 लीटर पैक बोटलों में से शुद्धता व लेबल थी जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र हुए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैंने हस्ताक्षर किये एप विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये जी न्यायनिर्णयम आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म के निर्माण व विक्रय परिसर में एक कार्टून में रखी हुयी कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (Ashish Uma Brand) 1 लीटर पैक बोटलों में से 4 बोटल शुद्धता व लेबल की जॉंच हेतु नमूना लेने बावा खरीदी जिनकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 483/- रूपये अक्षरे चार सौ तिरासी रुपये नगद देकर खरीद का बिल प्राप्त कीया जिस पर विक्रेता व मवाहान के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (Ashish Uma Brand) 1 लीटर पैक की 4 बोटलों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक बोटल पर अलग-अलग चिपकाकर बोटलों को अलग-अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर, पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर बोटलों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर एच-1868 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक बोटल पर चिपकाकर प्रत्येक बोटल को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार-चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों बोटलों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द बोटलों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसकी पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियों तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोटल एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कबर में सील बन्द बोटल व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मौहम्मद अशलम, वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 27.10.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहॉं जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की दो सील बन्द बोटल (ii व iii पाटी) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने की शेष एक सील बन्द बोटल (iv पाटी) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 26.10.2020 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को स्वयं जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2020/1830 दिनांक 10.11.2020 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विशलेशक जयपुर की जॉंच रिपोर्ट सख्या एलएस/1438/एक्ट/2020/1489 दिनांक 29. 10.2020 खाद्य कारोबारकर्ताओं को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुये एक प्रति मुझे दी जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (Ashish Uma Brand) 1 लीटर पैक का नमूना मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में विकेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (Ashish Uma Brand) 1 लीटर पैक का नि[illegible] करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का [illegible] है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को [illegible] किया गया। अभियुक्त सं0 1 लगायत 3 मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:41 IST
Reason: Self-Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि विकेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने मिथ्याछाप प्रकृति की खाद्य वस्तु कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (Ashish Uma Brand) 1 लीटर पैक का निमार्ण व विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (पप) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्त सं0 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विषलेशक जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1438/एक्ट/2020/1489 दिनांक 29. 10.2020निम्नानुसार है:–

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

Report No. L.S. /1438 / Act / 2020 / 1489 Date: 29-10-2020

Certified that I Karan Singh Tanwar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai madhopur a sample of "Kachi Ghani Pure Mustard Oil (Aashish Uma Brand)" bearing Code number and Serial number H-1868 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai madhopur area on 27-10-2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Fats, Oils and Fat Emulsions" falling under Regulation No. 2.2.1.6 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 27-10-2020 to 29-10-2020 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact company packed narrow mouth plastic bottle packing of 1 litre.
(2) Physical appearance : - Deep yellow coloured clear oil, free from suspended matter, separated water and rancidity.
(3) Label : -

Brand name : - Aashish Uma
Batch No. : - 16
Best before : - OCT 2020
Date of packaging : - 9 months from packaging
Symbol for Veg. / Non veg. : - Green symbol given.
Ingredients : - Mustard Oil, Fortified Oil with Vitamin A and D2
Nutritional information : - Given on the label of sample but the quantity of Trans Fat content and Saturated Fat content not mentioned on the label of sample. Contravention of Proviso (iii) of Regulation No. 2.2.2(3) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation, 2011.
Name & Address of Mfr. /Pkr.:- Aashish Udyog, RIICO Industrial Area, Saloda, Gangapur City, Sawai Madhopur (Raj). FSSAI License No. : - 12216038000037

Sl. No.	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro-refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	59.8	58.0 to 60.5
2.	Saponification value.	-------do-------	170.34	168.0 to 177.0
3.	Iodine value.	-------do-------	105.68	96.0 to 112.0
4.	Acid value.	-------do-------	1.19	Not more than 6.0
5.	Bellier Test (Turbidity temperature-Acetic acid method).	-------do-------	27.5°C	23.0°C to 27.5°C
6.	Test for Argemone oil	-------do-------	Negative	Negative
7.	Baudouin test.	-------do-------	Negative	Negative
8.	Test for Mineral oil.	-------do-------	Negative	Negative
9.	Added colouring matter.	-------do-------	Absent	Absent

Opinion: The sample of "Kachi Ghani Pure Mustard Oil (Aashish Uma Brand)" [illegible] Code [illegible] and Sr. No. H-1868 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur [illegible] Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 20[illegible]

Signed this 29th day of October 2020

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Food Analyst
(Authorised Signatory)
(Karan Singh Ta[illegible])
Food Analyst, Rajasthan
Central Public Health Laboratory
Rajasthan, Jaipur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:21:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 01/2021 (2021/23) सरकार बनाम पुरूषोत्तम व अन्य

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (Ashish Uma Brand) मिथ्याछाप प्रकृति का का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तग सं0 1 लगायत 3 को खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ कच्चीधानी शुद्ध सरसों तेल (Ashish Uma Brand) मिथ्याछाप प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत संयुक्त रूप से जुर्माना राशि 30,000 रूपये (अक्षरे–तीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:21:41 IST
Reason: SelfAttested